भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

महालेखाकार का कार्यालय

- वर्ष 1858 में
- सर एडमंड ड्रममोन्ड –1st ऑडिटर जनरल
- कार्यकाल– ब्रिटिश सम्राट के प्रसादपर्यन्त

→ 1884 में पद का नाम नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक

→ 1935 अधिनियम

- नियुक्ति–सम्राट
- प्रान्तों में भी महालेखाध्यक्ष नियुक्ति

↓ भारतीय संविधान में नाम बदलकर (1950) – CAG

❖ एक सदस्यीय आयोग

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 149 → शक्तियाँ
- अनुच्छेद 150 लेखों का प्रारूप → संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा कि राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें।शक्तियाँ
- अनुच्छेद 151 रिपोर्ट

अनुच्छेद 148 (1)

नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा
पदमुक्ति – SC के जज के समान
कार्यकाल – 6 वर्ष/65 वर्ष आयु
त्यागपत्र – राष्ट्रपति को
अवकाश – राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद 148 (2)शपथ

राष्ट्रपति द्वारा
प्रारूप – तीसरी अनुसूची के अनुसार

अनुच्छेद 148 (3)

वेतन एवं सेवा शर्तें

- संसद निर्धारित करती है
- अन्यथा दूसरी अनुसूची अनुसार (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर)

अनुच्छेद 148

- **अनुच्छेद 148 (4)**
  सेवानिवृति के बाद केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु पात्र नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 148 (5)**
  भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्ते
  &
  CAG की प्रशासनिक शक्तियाँ
  ↓
  CAG से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमानुसार
- **अनुच्छेद 148 (6)**
  CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय
  ↓
  भारत की संचित निधि पर

अनुच्छेद 149 कार्य/शक्तियाँ

- **अनुच्छेद 149**
  कार्य हेतु कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।
- **CAG (कर्त्तव्य, शक्तियाँ, सेवा शर्ते अधिनियम 1971)**
  1976 में संशोधन कर लेखांकन एवं लेखा परीक्षण को पृथक किया गया।
- **लेखा & लेखा–परीक्षा विनियम 2017**

CAG के कार्य :–

1. **लेखांकन** : राज्य सरकार का।
2. **अंकेक्षण** : केन्द्र व राज्य दोनों के आय–व्यय का, आकस्मिक निधि व लोकनिधि के व्ययों का, केन्द्र व राज्य सरकारों के सभी विभागों के खातों का, सरकारी निगमों व कम्पनियों के व्ययों का तथा राष्ट्रपति/राज्यपाल के आग्रह किये जाने पर स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण।
3. **अनुच्छेद 279** : किसी कर/शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण।
4. लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र व मार्गदर्शक के रूप में।
5. राष्ट्रपति द्वारा सौपा गया कोई अन्य कार्य।

नोट :– 1976 में हुए संशोधन से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास Accounting & Auditing दोनो कार्य थे, लेकिन वर्तमान में ऑडिटिंग कार्य ही है।

नोट :– संसद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणी पर उचित कार्यवाही कर सकता है।

अनुच्छेद 151 – CAG की रिपोर्ट :–

केन्द्र – राष्ट्रपति – संसद

CAG राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है।
(i) विनियोग लेखा पर
(ii) वित्तीय लेखा पर
(iii) सार्वजनिक उपक्रमों पर

राज्य – राज्यपाल – विधानमण्डल

- ❖ सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी (Watchdog) कहा जाता है।

तथ्य :–

	नाम	अवधि
प्रथम CAG	माननीय एडमंड ड्रममोंड	1860–62
स्वतंत्रता के समय CAG	सर बर्टीई स्टैग	1945–48
स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम CAG	वी.नरहरि राव	1948–54
वर्तमान CAG	श्री के. संजय मूर्ति (स्वतंत्रता पश्चात् 15वें)	21 नवम्बर 2024 से

Springboard ACADEMY

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (C.V.C)

- स्थापना–11 फरवरी 1964
- सिफारिश – के. संथानम समिति द्वारा
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर
- ❖ एक सदस्यीय

C.V.C. अधिनियम 2003
→ सांविधिक दर्जा
1+2 सदस्य
↓
मुख्य सतर्कता आयुक्त
अन्य सतर्कता आयुक्त

उद्देश्य
↓
केन्द्रीय लोक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सलाह

C.V.C

नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा
तीन सदस्यीय समिति
1. प्रधानमंत्री
2. लोकसभा विपक्ष के नेता
3. केन्द्रीय गृहमंत्री

कार्यकाल
4 वर्ष/65 वर्ष की आयु
(जो भी पहले हो)

हटाना
राष्ट्रपति
सलाह : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच के बाद
आधार –
1. दिवालिया
2. पागल
3. केन्द्र सरकार की नजर में नैतिक भ्रष्टता के अपराध में दोषसिद्ध होने पर
4. कदाचार एवं अक्षमता
5. लाभ का पद

वेतन निर्धारण
↓
संसद द्वारा

वेतन भत्ते व सेवा शर्तें – मुख्य सतर्कता आयुक्त – लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बराबर
अन्य सतर्कता आयुक्त – लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बराबर।

सेवानिवृति के पश्चात् केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं।

कार्य :–

1. केन्द सरकार द्वारा भेजे गए किसी मामले की जाँच।
2. CBI की जाँच प्रगति का पुनरीक्षण करना।
3. आयोग के पास भेजे गए मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार या अनेक संगठनों को सलाह।
4. भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जाँच के संबंध में CBI के कार्यो का अधीक्षण करना।
5. केन्द्र सरकार, मंत्रालय, विभाग आदि के सतर्कता एवं प्रशासन पर नजर।

6. केन्द्र सरकार को सलाह : केन्द्रीय अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में कानून बनाते समय
7. सूचना प्राप्ति का विशेषाधिकार – मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत
8. 2013 के लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट के कार्य
9. केन्द्र सरकार को अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में सलाह।
10. लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जाँच।
11. CBI में पुलिस अधीक्षक/इससे ऊपर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति समिति द्वारा→जिसका अध्यक्ष : मुख्य सतर्कता आयुक्त

क्षेत्राधिकार

- अखिल भारतीय सेवा के केन्द्र सरकार के ग्रुप A के अधिकारी
- सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी या कार्यकारी एवं अनुसूची ग & घ में वर्णित E-7 या ऊपर के अधिकारी
- सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी या कार्यकारी एवं अनुसूची क & ख में वर्णित E-8 या ऊपर के अधिकारी
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल–5 से ऊपर के अधिकारी
- साधारण बीमा कंपनियों के प्रबन्धक या उनके स्तर के अधिकारी।
- RBI/नाबार्ड (NABARD)/सिड़बी(SIDBI) बैंक के Grade-D या इससे ऊपर के अधिकारी
- वे अधिकारी जो 8700 रू. प्रतिमाह का वेतन (संशोधन पूर्व) पाने वाले है। + महँगाई भत्ता समय–समय पर परिवर्तित
- जीवन बीमा निगम (LIC) में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक या इससे ऊपर के अधिकारी

कार्यप्रणाली

- पूर्ण सक्षम
HQ – नई दिल्ली
- सिविल कोर्ट की शक्तियाँ
न्यायिक निकाय
- केन्द्र सरकार/इसके प्राधिकरणों से Report/जानकारी माँग सकता है।

वार्षिक प्रतिवेदन → राष्ट्रपति → दोनों सदनों में
प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त – निट्टूर श्रीनिवास राऊ/राव
वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त – प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (21वें) 3 अगस्त, 2022 से.....................
वर्तमान में अन्य सतर्कता आयुक्त – श्री ए.एस.राजीव (11 मार्च 2024 से................)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का स्मारक टिकट, भारत में सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में आयोग के महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करने और स्मरणीय बनाने के लिए जारी किया गया एक विशेष डाक टिकट है।

योजना आयोग (YOJANA AAYOG)

योजना आयोग

- **स्थापना–** 15 मार्च 1950 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा
- **सिफारिश :-** K.C. नियोगी समिति द्वारा (1946)
- **गैर–संवैधानिक** कार्यकारी परामर्शदात्री केन्द्रीकृत निकाय
- **समाप्ति** 13 अगस्त 2014

उद्देश्य
- राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम उपयोग
- रोजगार उपलब्ध करवाना
- पंचवर्षीय योजना का निर्माण

संरचना : अध्यक्ष–प्रधानमंत्री
1 उपाध्यक्ष (केबिनेट मंत्री समकक्ष–केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त)
2. पूर्णकालिक + 3 अंशकालिक – सदस्य
4. वित्तमंत्री – पदेन सदस्य

अन्य नाम :– सुपर केबिनेट, आर्थिक मंत्रिमण्डल, समानांतर मंत्रिमण्डल

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)

- **स्थापना–** 6 अगस्त 1952
- NDC को समाप्त नहीं किया गया है, परन्तु नीति आयोग की स्थापना से ही NDC को कोई कार्य नहीं सौंपा गया है।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिश पर गठित किया गया कार्यकारी निकाय

संरचना
1. अध्यक्ष–प्रधानमंत्री
2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री + सभी केन्द्रशासित प्रदेश के पदाधिकारी
3. योजना आयोग सदस्य
4. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सदस्य

उद्देश्य
1. राष्ट्रीय योजना समीक्षा
2. संतुलित विकास
3. परामर्श

- कुल बैठक :– 56
- अन्तिम बैठक :– 22 अक्टुबर, 2011

नीति आयोग (National Institution for Transforming India)

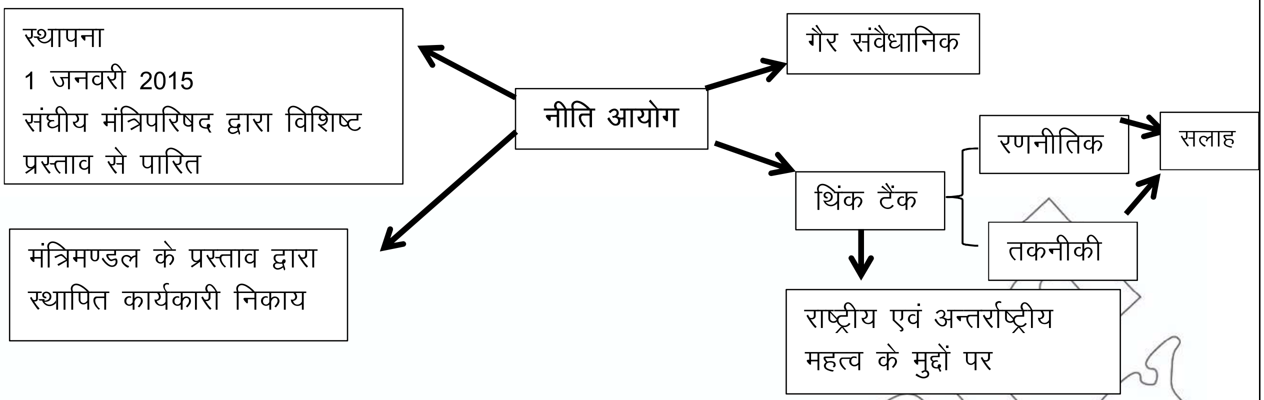

संरचना –

- पूर्णकालिक सांगठनिक ढाँचा :–

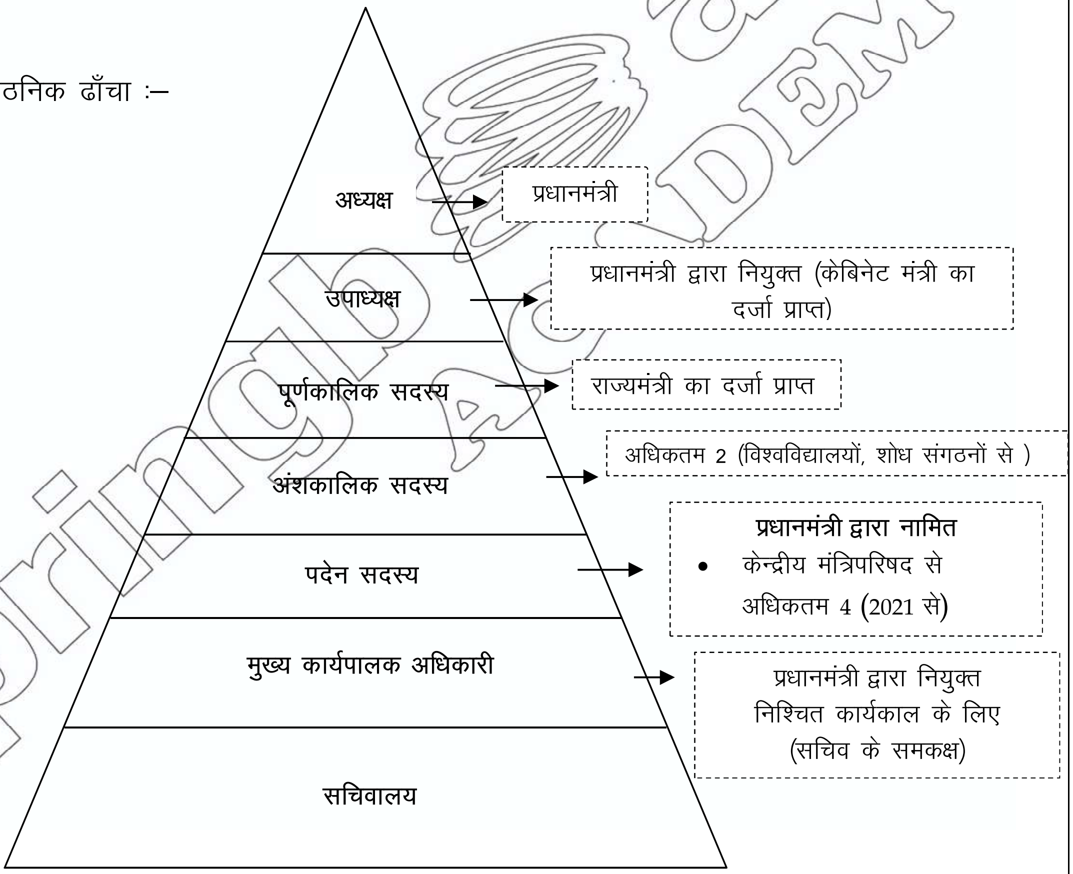

- **अध्यक्ष** – प्रधानमंत्री
- **शासकीय परिषद** – सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या पदाधिकारी (उपराज्यपाल)
- **क्षेत्रीय परिषद** :–
  (i) राज्यों के मुख्यमंत्री + केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

(ii) अध्यक्ष – प्रधानमंत्री

(iii) कार्य – एक से अधिक राज्यों से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान हेतु।

- **विशिष्ट आमंत्रण –**
  - ✓ विशेषज्ञ, सुविज्ञ, अभ्यासी प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जाते हैं।

विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएँ :–

1. **शोध शाखा** :– विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों को समर्पित थिंक टैंक
2. **परामर्शदात्री शाखा** – विशेषज्ञों का पैनल [केन्द्र सरकार, राज्य सरकार] → **परामर्श**
3. **टीम इंडिया शाखा** – प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि
   राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य।

तथ्य :–

अध्यक्ष – प्रधानमंत्री

प्रथम CEO - सिंधुश्री खुल्लर

द्वितीय CEO - अमिताभ कांत

तृतीय CEO – परमेश्वर अय्यर

वर्तमान CEO - बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम (4th) (फरवरी 2023)

प्रथम उपाध्यक्ष – अरविन्द पनगढ़िया

द्वितीय उपाध्यक्ष – डॉ. राजीव कुमार

वर्तमान उपाध्यक्ष – सुमन बेरी (3rd)

❖ **नीति आयोग के अनुसार सुशासन के 7 स्तम्भ –**

1. Pro-People
2. Pro-Activity
3. Participation
4. Empowering
5. Inclusion For All
6. Equality
7. Transparency

लोकपाल

- **1809**
  स्वीडन से शुरूआत
  ओम्बुडसमैन
  ↓
  किसी का प्रतिनिधि
- **1963**
  भारत में राजस्थान
  प्रशासनिक सुधार
  समिति (हरिशचन्द्र
  माथुर समिति सुझाव)
- **1966**
  1st प्रशासनिक सुधार
  आयोग सिफारिश
  (मोरारजी देसाई)
  - लोकपाल
  - लोकायुक्त
- **1968**
  1st बिल
  प्रधानमंत्री – इंदिरा गाँधी
  - पारित नहीं हुआ

लोकपाल

- **1970**
  उड़ीसा
  1st Act पारित
- **1971**
  महाराष्ट्र
  प्रथमतः लोकपाल
  स्थापना
- **3 Feb. 1973**
  राजस्थान में
  लोकायुक्त
- **2007**
  IInd प्रशासनिक
  सुधार आयोग
  सिफारिश
  (वीरप्पा मोइली)
  - राष्ट्रीय लोकायुक्त
  - राज्य लोकायुक्त
- **4 Aug. 2011**
  10वीं बार बिल
  संसद में रखा गया
- **2013**
  राज्यसभा–17.12.2013
  लोकसभा–18.12.2013
  राष्ट्रपति हस्ताक्षर
  ↓
  01.01.2014
  प्रभावी
  16.01.2014

नोट :– लोकपाल बिल मसौदा – अन्ना हजारे, संतोष हेगडे और शांति भूषण

Springboard Academy

संरचना → बहुसदस्यीय

संरचना → 1 लोकपाल + अधिकतम 8 सदस्य
- → 4 न्यायिक क्षेत्र से
- → 4 SC/ST/OBC/Female & Minority (अल्पसंख्यक)

योग्यता –
- **लोकपाल** : पूर्व CJI/SC का पूर्व न्यायाधीश/प्रतिष्ठित व्यक्ति
- **न्यायिक सदस्य** : SC का पूर्व न्यायाधीश /HC का पूर्व मुख्य न्यायाधीश

नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर

↓

समिति
- **PM**
- लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा में विपक्ष का नेता
- राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता (अन्य चार सदस्यों)
- **SC के CJI या उनके** द्वारा नामित कार्यरत जज

कार्यकाल – 5 वर्ष/70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)

लोकपाल नहीं बन सकते यदि
- आयु 45 वर्ष से कम हो।
- अपराध का दोषी
- विधायक/सांसद हो।

क्षेत्राधिकार

1. प्रधानमंत्री (प्रतिबंध एवं शर्तों के अधीन अर्थात् लोकपाल के न्यूनतम 2/3 सदस्यों की अनुमति मिलने पर जाँच)

   (i) विदेश संबंध
   (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संबध
   (iii) आन्तरिक/बाह्य सुरक्षा
   (iv) परमाणु ऊर्जा
   (v) अन्तरिक्ष

   } इन मामलों में जाँच नहीं कि जा सकती है।

Springboard

2. समस्त पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, सांसद
3. भारत सरकार के अधिकारी, कर्मचारी
4. लोक उपक्रमों के लोकसेवक
5. NGO जो 10 लाख/इससे अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं।

शक्तियाँ :–

- सिविल कोर्ट की शक्तियाँ
- लोकपाल CBI को भी विषय सौंप सकता है, जिसके अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का अंतिम अधिकार लोकपाल के पास।
- चल एवं अचल सम्पति/दस्तावेज जब्त/कुर्की/नीलामी अधिकार। (भ्रष्टाचार द्वारा अर्जन पर)

सेवानिवृति के बाद :–

- पुनर्नियुक्ति नहीं
- चुनाव नहीं लड़ सकता
- लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता
- कूटनीतिज्ञ पद प्राप्त नहीं कर सकता

हटाना :–

- त्याग पत्र – राष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति द्वारा हटाना

  यदि

  1. दिवालिया 2. लाभ का पद 3. मानसिक/शारीरिक अक्षमता 4. पागल
  5. न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धि

Note - दुर्व्यवहार या अक्षमता की स्थिति में न्यूनतम 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका राष्ट्रपति को प्रस्तुत होगी।

↓

जाँच – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

↓

दोषी होने पर राष्ट्रपति हटायेंगे।

जाँच :– सामान्य प्रकृति – 3 माह
गंभीर प्रकृति – 6 माह
अभियोजन प्रकृति की – 1 वर्ष
गलत शिकायत पर दण्ड के प्रावधान

तथ्य :–

प्रथम लोकपाल – पिनाकी चंद्र घोष
द्वितीय लोकपाल – प्रदीप कुमार मोहंती
वर्तमान लोकपाल – अजय माणिकराव खानविलकर (3rd)

अन्य सदस्य

न्यायिक क्षेत्र

1. एल. नारायण स्वामी
2. श्री संजय यादव
3. श्री ऋतुराज अवस्थी

अन्य

1. श्री पंकज कुमार
2. श्री अजय टिरके
3. श्री सुशील चन्द्र

निर्वाचन आयोग

- **भाग**–XV; अनुच्छेद 324 से 329 तक
- **स्थापना** – 25 जनवरी 1950
- संवैधानिक, स्थायी, स्वतंत्र, अखिल भारतीय निकाय
- **संरचना** – पूर्व में एक सदस्यीय

  बाद में 16 अक्टूबर, 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, परन्तु 1 जनवरी,1990 को इन्हें हटा दिया गया।

  → 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी रूप से बहुसदस्यीय

  1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त
  \+
  2 अन्य आयुक्त
- **नियुक्ति** – राष्ट्रपति द्वारा। (चयन समिति की सिफारिश पर)

  चयन समिति – (i) प्रधानमंत्री (ii) केबिनेट मंत्री (iii) लोकसभा में विपक्ष का नेता
  (मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के अनुसार)
- **कार्यकाल** – 6/65 वर्ष
- **त्यागपत्र** – राष्ट्रपति को
- **वेतन** – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान (2.5 लाख वर्तमान में, निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें कार्य संचालन एक्ट 1991)

  हटाना – राष्ट्रपति द्वारा (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके से)

  आधार – 1. अक्षमता 2. कदाचार

  न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर संसद अयोग्य करार कर सकती है।

कार्य/शक्तियाँ –

1. प्रशासकीय
2. सलाहकारी
3. अर्द्धन्यायिक
4. चुनाव –
   - राष्ट्रपति
   - उपराष्ट्रपति
   - संसद
   - राज्य विधानमण्डल
5. चुनाव कार्यक्रम घोषणा
6. मतदाता सूची तैयार करना
7. चुनाव चिह्न एवं आचार संहिता विनियमन
8. संसद के परिसीमन एक्ट के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

   राष्ट्रपति (अनुच्छेद 103) एवं राज्यपाल (अनुच्छेद 192) को सलाह – चुनाव संबंधी सदस्यों की अयोग्यता के सन्दर्भ में

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950–51 द्वारा शक्तियाँ विस्तारित की गई।

अनुच्छेद 325 – जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग के आधार पर –

(A) किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने से इंकार नही।

(B) न ही कोई विशेष मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु दावा कर सकता है।

अनुच्छेद 326 – वयस्क मताधिकार – 61वें संविधान संशोधन, 1989 से मतदान आयु 18 वर्ष की।

❖ अनिवासी भारतीय एवं मानसिक पागल, कैदी को मतदान अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 327 – निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 328 – राज्य विधानमण्डल की शक्ति

अनुच्छेद 329 – निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के संबंध में।

निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियाँ

1. वी.एन. तारकुंडे समिति, 1974
2. दिनेश गोस्वामी समिति, 1990
3. इन्द्रजीत गुप्ता समिति, 1998
4. वोहरा समिति, 1993
5. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2005

तथ्य :–

- **प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)** – सुकुमार सेन (1950–1958)
- **सबसे लंबा कार्यकाल** – के. वी. के. सुन्दरम (1958–1967)
- **वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त** – श्री ज्ञानेश कुमार (26वें) (19 फरवरी, 2025 से)
- **अन्य निर्वाचन आयुक्त** – (i) डॉ. विवेक जोशी (2025 से)
  (ii) डॉ. सुखवीर सिंह सन्धू (2024 से)

→ 1989 में जब चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया, उस समय

मुख्य चुनाव आयुक्त – R.V.S पैरीशास्त्री

अन्य चुनाव आयुक्त – (i) एस.एस.धनोवा (ii) वी.एस. सेगल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

National Human Rights Commission (NHRC)

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 सितम्बर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइटस (30 अनुच्छेद) का दस्तावेज जारी किया गया।

↓

- ❖ प्रथम पीढ़ी अनुच्छेद 1 से 21
- ❖ द्वितीय पीढ़ी अनुच्छेद 22 से 27

- सांविधिक / वैधानिक निकाय (NHRC अधिनियम, 1993)
- **स्थापना** – 12 अक्टूबर 1993
- अधिनियम की धारा–2(1)ए में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया।
- अधिनियम की धारा 2(m) में लोकसेवक को परिभाषित किया गया।
- मानवाधिकार दिवस 10 सितम्बर

उद्देश्य

- मानवाधिकार का बेहतर संरक्षण
- मानवाधिकार की सुरक्षा
- आयोग का गठन
- राज्यों में मानवाधिकार सुरक्षा गठन

संरचना (1+5+7)

- अध्यक्ष → SC का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
- 1 सदस्य → SC में कार्यरत या सेवानिवृत न्यायाधीश
- 1 सदस्य → HC में कार्यरत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश
- 3 अन्य सदस्य – मानवाधिकारों के ज्ञाता इनमें से 1 महिला सदस्य होगी)

विधि आयोग सदस्य नहीं है।

पदेन सदस्य →

- एससी आयोग
- एसटी आयोग
- महिला आयोग
- पिछड़ा वर्ग आयोग
- अल्पसंख्यक आयोग
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- दिव्यांग आयोग

} के अध्यक्ष

नियुक्ति → राष्ट्रपति
परामर्श समिति (6 सदस्यीय)
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा स्पीकर
राज्यसभा उपसभापति
विपक्ष के नेता (दोनों सदनों के)
केन्द्रीय गृह मंत्री

कार्यकाल – 3 वर्ष/70 वर्ष आयु (संशोधन अधिनियम 2019 के बाद)
पुनर्नियुक्ति – आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अनुमत (पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र)
केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं।
हटाना – राष्ट्रपति द्वारा

1. कदाचार या अक्षमता → उच्चतम न्यायालय की जाँच → राष्ट्रपति हटा देता है।
2. 5 आधार पर बिना जाँच →
   (i) दिवालिया
   (ii) कार्यक्षेत्र से बाहर रोजगार
   (iii) मानसिक या शारीरिक अक्षम
   (iv) पागल
   (v) न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध

वेतन एवं भत्ते :– केन्द्र सरकार द्वारा – परन्तु नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं

कार्य :–

1. 1 वर्ष के भीतर घटित घटना की जाँच
2. मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच (स्वप्रेरणा व न्यायालय के आदेश से)
3. मानवाधिकार हेतु शोध
4. सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
5. NGO को प्रोत्साहन
6. मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता
7. जेलों व बन्दीगृहों में मानवाधिकारो के उल्लंघन का निरीक्षण

❖ केवल सलाहकारी निकाय – दण्ड/क्षतिपूर्ति/कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु केवल सलाह

प्रतिवेदन – केन्द्र सरकार को एवं संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है।
प्रथम अध्यक्ष – न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा
वर्तमान अध्यक्ष – न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन
पदेन सदस्य –

	नाम		अध्यक्ष
(i)	इकबाल सिंह लालपुरा	–	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(ii)	किशोर मकवाना	–	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(iii)	अंतर सिंह आर्य	–	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(iv)	विजया के. राहतकर	–	राष्ट्रीय महिला आयोग
(v)	श्री वैलेटी प्रेमचंद	–	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
(vi)	हंसराज गंगाराम अहिर	–	राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग
(vii)	राजेश अग्रवाल	–	राष्ट्रीय दिव्यांग आयुक्त

केन्द्रीय सूचना आयोग

- सांविधिक निकाय
- उच्च सत्तायुक्त स्वतंत्र निकाय
- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 12(1)
- **स्थापना** :– 12 अक्टूबर, 2005
- केन्द्र एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों की शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई।

संरचना धारा 12(2)

↓

1 अध्यक्ष + 10 सदस्य (अधिकत्तम)

↓ (केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त) ↓ (केन्द्रीय सूचना आयुक्त)

नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति के परामर्श से–

1. प्रधानमंत्री
2. लोकसभा में विपक्ष का नेता
3. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य (कैबिनेट मंत्री)

शपथ → राष्ट्रपति द्वारा

2019 में संशोधन
- कार्यकाल → पहले 5/65 वर्ष; अब–केन्द्र सरकार तय करती है।
- वेतन भत्ते → अब केन्द्र सरकार तय

योग्यता :– धारा–12(5)

- विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, शासन एवं प्रशासन का विशिष्ट अनुभवी हो।
- संसद सदस्य (MP)
- विधानमण्डल सदस्य (MLA)
- लाभ का पद प्राप्त

} अयोग्य

पद से हटाना – धारा 14; राष्ट्रपति द्वारा

उच्चतम न्यायालय की जाँच के उपरान्त :

1. अक्षमता
2. सिद्ध कदाचार

अन्य आधार (बिना जाँच) – 5

1. दिवालिया घोषित हो
2. अपराध में दोषसिद्धि जो राष्ट्रपति की नजर में नैतिक अक्षमता हो।
3. कर्त्तव्य से परे अन्य लाभ का पद प्राप्त करना।
4. शारीरिक/मानसिक अक्षम
5. ऐसा लाभ का पद जिससे कार्य या निष्पक्षता प्रभावित हो।

पुनर्नियुक्ति→ नहीं (लेकिन केन्द्रीय सूचना आयुक्त, केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र है।)

त्यागपत्र → राष्ट्रपति को

कार्य –

1. किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्ति एवं जाँच (RTI) से संबंधित
2. ठोस आधार पर स्वः प्रेरणा से जाँच
3. सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रयोग
   a. समन जारी करना
   b. शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य
   c. दस्तावेज मांगना एवं जाँच करना।

प्रतिवेदन – केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट

कार्यालय – दिल्ली

- ❖ आयोग केन्द्र सरकार की अनुमति से अन्य जगह स्थापित कर सकता है।

अन्य तथ्य –

- 1766– स्वीडन प्रथम देश सूचना का अधिकार अपनाने वाला
- RTI मांग – किसान मजदूर संघ द्वारा अरूणा रॉय के नेतृत्व में आंदोलन (6 अप्रैल 1995)
- 2005 से पूर्व – 7 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश RTI अपना चुके थे।
- राजस्थान में RTI सन् 2000 में
- भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी इसके दायरे में शामिल।

- ❖ प्रथम अध्यक्ष – वजाहत हबीबुल्लाह
- ❖ वर्तमान अध्यक्ष – राजकुमार गोयल(13वें)

Springboard ACADEMY

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

- भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन (ली आयोग की सिफारिश पर)
- भारत शासन अधिनियम 1935 में
  - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
  - राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
  - संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC)
- भाग–14, अनुच्छेद 315 से 323 तक

	UPSC	SPSC	JPSC
गठन	राष्ट्रपति	राज्यपाल	संसद (विधानमण्डलों की स्वीकृति)
अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्ति	राष्ट्रपति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
कार्यकाल	6 / 65 वर्ष	6 / 62 वर्ष	6 / 62 वर्ष
त्यागपत्र	राष्ट्रपति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
योग्यता	संविधान में उल्लेख नहीं	संविधान में उल्लेख नहीं	संविधान में उल्लेख नहीं
	कम से कम आधे सदस्य जिनको 10 वर्ष संघ / राज्य सेवा का अनुभव हो।		
प्रतिवेदन	राष्ट्रपति	राज्यपाल	संबंधित राज्यपाल
कार्यों का निर्धारण	संसद	विधानमण्डल	संसद
निलम्बित	राष्ट्रपति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
हटाया जाना (अनु. 317)	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति

- उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर → केवल कदाचार के आधार पर → उच्चतम न्यायालय की जाँच (बाध्यकारी सिफारिश)
- दिवालिया, कर्त्तव्य से बाहर वेतन, मानसिक / शारीरिक अक्षमता पर बिना जाँच।

कार्य

1. सिविल सेवा / अन्य उच्च (A/B वर्ग) पदों हेतु भर्ती
2. लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
3. लोकसेवक क्षतिपूर्ति के दावे
4. एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण

- केवल केन्द्रीय भर्ती अधिकरण है।
- सेवा में वर्गीकरण, वेतन, कैडर, प्रशिक्षण की अनुमति नहीं।
  - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा।

तथ्य :–

1. संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष – सर रॉस बार्कर (1926–1932)
2. स्वतंत्रता उपरांत प्रथम अध्यक्ष – एच.के.कृपलानी (1947–1949)
3. प्रथम महिला अध्यक्ष – श्रीमती आर.एम. बैथ्यू (1992–1996)

वर्तमान अध्यक्ष – श्रीमती प्रीति सूदन

अनुच्छेद 338 :– राष्ट्रपति संविधान में वर्णित SC/ST के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा उपायों की जाँच हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

1990 – 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC/ST आयोग की स्थापना

2003 – 89वें संविधान संशोधन से भिन्न–भिन्न आयोग।

	SC आयोग	ST आयोग	OBC आयोग (102 वाँ संविधान संशोधन)
अनुच्छेद	338	338(क)	338(ख)
सदस्य	1 + 4 ↘ SC का अध्यक्ष	1 + 4 ↘ ST का अध्यक्ष	1 + 4 ↘ OBC का अध्यक्ष
नियुक्ति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति द्वारा हस्तान्तरित/मुहरबन्द आदेश द्वारा
प्रतिवेदन	राष्ट्रपति → संसद में	राष्ट्रपति → संसद में	राष्ट्रपति → संसद में
कार्य	1. सलाहकारी 2. जाँच, शिकायतें सुनना	1. सलाहकारी 2. जाँच, शिकायतें सुनना	1. सलाहकारी 2. जाँच, शिकायतें सुनना
शक्तियाँ	सिविल न्यायालय की	सिविल न्यायालय की	सिविल न्यायालय की
पुनर्नियुक्ति	1 बार संभव	1 बार संभव	1 बार संभव
सेवा शर्तें एवं कार्यकाल	3 वर्ष कार्यकाल, राष्ट्रपति के नियमानुसार	3 वर्ष कार्यकाल, राष्ट्रपति के नियमानुसार	3 वर्ष कार्यकाल, राष्ट्रपति के नियमानुसार
	संवैधानिक	संवैधानिक	पूर्व में कानूनी/सांविधिक अब–संवैधानिक

Springboard Academy

राष्ट्रपति

1.	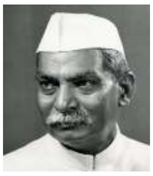 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1952- 62	•दो बार राष्ट्रपति • संविधान सभा के अध्यक्ष
2. 3.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णा	1962- 67	• BHU के vice चांसलर
4.	डॉ. जाकिर हुसैन	1967 – 69	पद्म विभूषण
5.	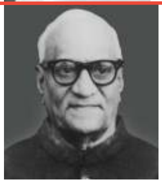 वराहगिरी वेंकट गिरी (कार्यवाहक)	मई 1969 से जुलाई 1969	प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति
6.	M. हिदायतुल्ला (कार्यवाहक)	जुलाई 1969- अगस्त 1969	पूर्व मुख्य न्यायधीश
7.	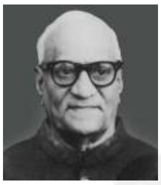 वराहगिरी वेंकट गिरी	1969 - 74	पूर्व में उपराष्ट्रपति
8.	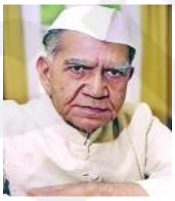 फखरूद्दीन अली अहमद	1974- 1977	केन्द्रीय मंत्री (कार्यकाल में मृत्यु)
9.	B.D.जत्ती (कार्यवाहक)	feb. 1977 से July- 1977	पूर्व में उपराष्ट्रपति
10.	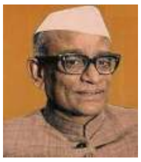 नीलम संजीव रेड्डी	1977- 82	• आन्ध्रप्रदेश के CM

11.		ज्ञानी जैल सिंह	1982- 1987	पंजाब के CM
12.		R. वेंकटरमन	1987- 1992	पूर्व में उपराष्ट्रपति
13.	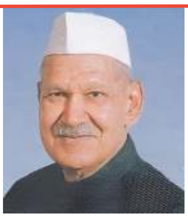	D.R. शंकरदयाल शर्मा	1992- 1997	मध्यप्रदेश के CM पूर्व में (चार PM के साथ काम)
14.		K.R नारायणन्	1997- 2002	प्रथम दलित राष्ट्रपति
15.		D.R APJ अब्दुल कलाम	2002-2007	वैज्ञानिक
16.		श्री मति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	2007- 12	• 1st महिला राष्ट्रपति • राजस्थान की राज्यपाल
17.		प्रणब मुखर्जी	2012- 17	पद्म विभूषण (2008)

18.		रामनाथ कोविंद	२017 - २२	•दूसरे दलित राष्ट्रपति • बिहार राज्यपाल पूर्व में
19.		द्रोपदी मुर्मू (व्यक्तिगत रूप से 15 वीं)	२5 जुलाई २०२२ से..	• झारखण्ड राज्यपाल पूर्व में • प्रथम आदिवासी महिला

महत्वपूर्ण तथ्य-

- सर्वाधिक कार्यकाल - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- न्यूनतम कार्यकाल - डॉ. जाकिर हुसैन
- Ist निर्विरोध राष्ट्रपति - नीलम संजीव रेड्डी
- महिला राष्ट्रपति - 1. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
  २. द्रोपदी मुर्मू
- पद पर रहते हुए मृत्यु - 1. डॉ. जाकिर हुसैन
  २. फखरुद्दीन अली अहमद
- सबसे युवा राष्ट्रपति - द्रोपदी मुर्मू
- सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति - K.R नारायणन
- २5 जून, 1975 को आपातकाल के समय राष्ट्रपति - फखरुद्दीन अली अहमद
  - P.M = इंदिरा गाँधी
  ↓
  हटाया गया तब राष्ट्रपति - B.D जत्ती

- राज्यपाल + राष्ट्रपति :- जाकिर हुसैन
  V.V. गिरि
  प्रतिभा पाटिल
  द्रोपदी मुर्मू
  शंकर दयाल
  रामनाथ कोविंद

- राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे है– नीलम संजीव रेड्डी

- राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला–
  1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
  2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
  3. डॉ. जाकिर हुसैन
  4. वी.वी. गिरि
  5. डॉ. A.P.J अब्दुल कलाम
  6. प्रणव मुखर्जी

- "भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है" –ऐलन ग्लैडहिल

- "संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा"– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

आपातकाल	राष्ट्रपति	प्रधानमंत्री	कारण
1962- 1968	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	J.L. नेहरु	चीन युद्ध
1971- 1975	V.V. गिरि	इंदिरा गाँधी	भारत-पाक युद्ध
1975- 1977	फखरुद्दीन अली अहमद	इंदिरा गाँधी	आंतरिक अशांति

- राष्ट्रपति जिन्हें 'मिसाइल मैन' कहा जाता है = A.P.J अब्दुल कलाम
- राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सम्बद्ध = वी.वी. गिरी
- "राष्ट्रपति जो SC में उपस्थित हुए थे जब SC राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था"= वी.वी. गिरी
- राष्ट्रपति भवन को डिजाइन 'एडविन ल्यूटियंस' ने किया।
- एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति रहे = एम. हिदायतुल्ला

उपराष्ट्रपति

1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1952-1962) प्रथम, निर्विरोध	भारत रत्न
2. डॉ. जाकिर हुसैन	(1962-1967)	भारत रत्न, पद्म विभूषण
3. वी.वी गिरि	(1967-1969)	भारत रत्न, U.P, केरल व मैसूर के राज्यपाल
4. गोपालस्वरूप पाठक	(1969-1974)	न्यायाधीश इलाहाबाद HC मैसूर के राज्यपाल
5. B.D. जत्ती	(1974-1979)	ओडिशा के राज्यपाल
6. एम हिदायतुल्ला	(1979-1984) निर्विरोध	भारत के CJI, MP व नागपुर H.C. के CJ.
7. आर. वेंकटरमन्	(1984-1987)	स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ताम्रपत्र से सम्मानित

8.	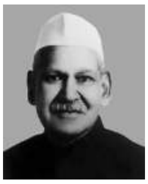	डॉ. शंकरदयाल शर्मा	(1987 - 1992) निर्विरोध	आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब के राज्यपाल
9.		के. आर नारायणन	(1992 - 1997)	
10.		कृष्णकांत	(1997- २००२)	आन्ध्रप्रदेश व तमिलनाडु के राज्यपाल
11.	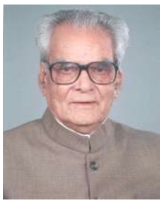	भैरोसिंह शेखावत	(२००२ - २००७)	राजस्थान के C.M., राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता।
12.	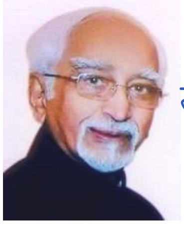	मो. हामिद अंसारी	(२००७ - २०१७)	पद्म श्री
13.		एम. वेंकैया नायडू	(२०१७- २०२२)	
14.		जगदीप धनकड़	अगस्त २०२२ से.....	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

Springboard Academy

1.	जवाहर लाल नेहरू	1947 - 1964	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
2.	गुलजारी लाल नन्दा	मई- जून, 1964	प्रथम कार्यवाहक PM
3.	लाल बहादुर शास्त्री	जून, 1964- 1966	एकमात्र P.M. जिनका निधन विदेश यात्रा समय (ताशकन्द) कार्यकाल के दौरान मृत्यु
4.	गुलजारी लाल नन्दा	Jan. 1966- feb. 1966	दूसरी बार कार्यवाहक (दो बार कार्यवाहक P.M बनने वाले एकमात्र)
5.	इंदिरा गाँधी	1966- 1977	प्रथम महिला PM
6.	मोरार जी देसाई	1977 - 79	प्रथम गैर कांग्रेसी PM
7.	चौधरी चरण सिंह	1979 - 80	लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दिया।
8.	इंदिरा गाँधी	1980 - 84	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
9.	राजीव गाँधी	1984 - 89	सबसे युवा P.M.
10.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	1989- 90	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने वाले प्रथम PM

11.	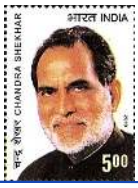	चन्द्रशेखर	1990-91	युवा तुर्क
12.		P.V नरसिम्हाराव	1991-96	पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नही थे।
13.		अटल बिहारी वाजपेयी	16मई-1 जून 1996	सबसे कम कार्यकाल वाले P.M. (13 दिन)
14.		H.D देवगौडा	1996-97	कर्नाटक के CM पद से इस्तीफा देकर PM बने
15.	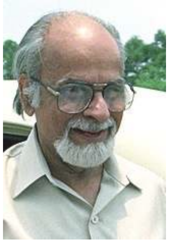	इन्द्र कुमार गुजराल	1997-98	विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत
16.	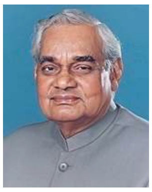	अटल बिहारी वाजपेयी	1998-2004	UNO में हिन्दी में भाषण देने वाले प्रथम P.M.
17.		मनमोहन सिंह	2004-14	भारत में आर्थिक सुधारों के जनक
18.		नरेन्द्र मोदी (व्यक्तिगत रूप से 15वें)	2014 से लगातार	4 बार गुजरात के CM स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम PM

PM जो कार्यकाल के दौरान राज्यसभा MP

1. इंदिरा गाँधी
2. H.D देवगौडा
3. इन्द्र कुमार गुजराल
4. मनमोहन सिंह

वे CM जो PM बने

1. मोरार जी देसाई (बॉम्बे)
2. चौधरी चरण सिंह (U.P)
3. विश्वनाथ प्रताप सिंह (U.P)
4. P.V नरसिम्हाराव (आन्ध्रप्रदेश)
5. H.D देवगौडा (कर्नाटक)
6. नरेन्द्र मोदी (गुजरात)

P.M.	Deputy P.M.
1. जवाहर लाल नेहरू	सरदार वल्लभ भाई पटेल
2. इंदिरा गाँधी	मोरार जी देसाई
3. मोरार जी देसाई	चौधरी चरण सिंह जगजीवन राम
4. चौधरी चरण सिंह	यशवन्त राव चौहान
5. विश्वनाथ प्रताप सिंह	देवीलाल
6. चन्द्रशेखर	देवीलाल
7. अटल बिहारी वाजपेयी	लाल कृष्ण आडवाणी

अधिकतम कार्यकाल- J.L नेहरू > इंदिरा गाँधी > नरेन्द्र मोदी

न्यूनतम कार्यकाल- चरणसिंह (व्यक्तिगत रूप से)
गुलजारीलाल नंदा (केयरटेकर के रूप में)
अटल बिहारी वाजपेयी (एक कार्यकाल 13 दिन

अविश्वास प्रस्ताव

1. जवाहर लाल नेहरु के विरुद्ध → J.B कृपलानी द्वारा - Aug. 1963 में
2. लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध → ३ बार
3. इंदिरा गाँधी के विरुद्ध → 15 बार
4. मोरार जी देसाई के विरुद्ध → २ बार
5. विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध → 1 बार
6. P.V नरसिम्हाराव के विरुद्ध → २ बार
7. H.D देवगौडा के विरुद्ध → 1 बार
8. अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध → 1 बार
9. नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध → २ बार (२018, २0२3)

अब तक कुल अविश्वास प्रस्ताव = २8

- PM जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र - चौधरी चरण सिंह
- PM जिनके कार्यकल में संविधान की 9th अनुसूची में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अन्तःस्थापित किया गया - इंदिरा गाँधी
- PM जो अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में बने = H.D देवगौडा
- PM जिनके शासनकाल में संसद में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया - H.D देवगौडा
- प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) '<u>मोरारजी देसाई</u>' के कार्यकल में किया गया ।

Springboard ACADEMY

- "द एक्सीडेंटल PM : द मेकिंग एण्ड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह" BOOK → संजय बारू

- PM जिनको भारत रत्न मिला -

1. जवाहर लाल नेहरू
2. लाल बहादुर शास्त्री
3. इंदिरा गाँधी
4. राजीव गाँधी
5. मौरार जी देसाई
6. गुलजारी लाल नन्दा
7. अटल बिहारी वाजपेयी
8. चौधरी चरणसिंह (२०२४)
9. P.V नरसिम्हाराव (२०२४)

- भारत की प्रथम महिला केन्द्रीय मंत्री = राजकुमारी अमृत कौर
- प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के मूल कर्त्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट = इंदिरा गाँधी
- प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
- प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का शपथ = राष्ट्रपति द्वारा
- संघीय मंत्रीमण्डल की बैठक की अध्यक्षता = प्रधानमंत्री द्वारा
- राजीव गाँधी का समाधि स्थल = वीरभूमि
- J.L. नेहरू का समाधि स्थल = शांति वन
- लाल बहादुर का समाधि स्थल = विजय घाट
- इंदिरा गाँधी का समाधि स्थल = शक्ति स्थल
- शंकरदयाल शर्मा का समाधि स्थल = कर्मभूमि
- स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री = R.K षणमुखम् चेट्टी

- स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव पद का सृजन = 1951
- 'जय जवान - जय किसान' का नारा = "लाल बहादुर शास्त्री"
- 15 Aug. 1947 को केन्द्र में मंत्रालयों की संख्या = 18
- वर्तमान में केन्द्र में PM कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रालयों की संख्या = 53
- केन्द्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे PM के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है।
- प्रशासनिक सुधार आयोग-1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे
- PM के प्रभार के अधीन रखा गया है।
- PM जिनके कार्यकाल में सम्पति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया – मोरार जी देसाई

Springboard Academy

गठबंधन की राजनीति

- यदि सदन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनाने के लिए एक साथ आते है उसे गठबंधन राजनीति कहा जाता है।

- ऐसी सरकारों को मिली-जुली सरकार भी कहते है।

भारत में गठबंधन की राजनीति का उदय-

चौथे आम चुनाव (feb. 1967) के नतीजों ने गठबंधन राजनीति की शुरुआत की क्योंकि-

- राजस्थान पंजाब और U.P जैसे कई राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला।

- कई राज्यों में एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई।

- 1977 में गठित जनता पार्टी भी एक तरह का गठबंधन-सा ही था।

- 11 वीं से लेकर 15 वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला।

भारत में गठबंधन राजनीति का विकास-

धीरे-धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आये-

(a) भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)

(b) कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)

[भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA)]

वर्तमान परिदृश्य-

वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की मुख्य तीन धाराएँ है-

(i) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)

(ii) भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) (UPA)

(iii) वामपंथी राजनीतिक दल

(iv) AIDMK, TMC, BJD, JDU, AAP, JDS आदि राजनीतिक दल आवश्यकतानुसार अन्य गठबंधनों में शामिल हो जाते है।

भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषताएँ-

1. गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है।
   e.g.- भाजपा द्वारा NDA, कांग्रेस द्वारा UPA

2. गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव।
   e.g. BJP व PDP , कांग्रेस व SSS

3. गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव।
   e.g.- NDA और UPA (INDIA) दोनों में विचारधारा एवं सैद्धांतिक अन्तर खोजना कठिन है।

4. गठबंधन दल एवं सिद्धातों के बजाय नेताओं के आधार पर।
   e.g. नीतीश कुमार जनता दल (यूनाइटेड)

5. निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन।
   e.g.- किसी दल को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया जाना।

Springboard ACADEMY

6. दल-बदल की प्रवृति- गठबंधन सरकारों के कारण शासन के स्थायित्व को खतरा बना रहता है। (आया राम गया राम की प्रवृति)

7. दबाव की राजनीति- गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए दबाव बनाते रहते है।

- कई बार क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर हावी हो जाता है।

गठबंधन सरकारों के बनने के कारण-

1. भारत में बहुदलीय व्यवस्था है।

2. स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के अवसर अधिक होते है।

3. भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ विभिन्न वर्गों, धर्मों, सस्कृतियों एवं जातियों के लोग निवास करते है।

4. वर्गीय हितों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ, जिससे सैकड़ों राजनीतिक दलों का गठन हुआ।

5. इससे त्रिशंकु लोकसभा के अवसर अधिक ही पैदा होने की आशंका है।

6. अतः शायद गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व बन गया है।

गठबंधन सरकारों का इतिहास-

1977 के आम चुनाव में पहली बार केन्द्र में 5 दलों ने मिलकर सरकार बनाई।

PM	वर्ष	गठबंधन
मोरार जी देसाई (कांग्रेस)	1977-79	जनता पार्टी
चरणसिंह (जनता पार्टी सेक्यूलर)	1979-1980	जनता पार्टी
V.P सिंह (जनता दल)	1989-90	राष्ट्रीय मोर्चा
चन्द्रशेखर (जनता पार्टी सेक्यूलर)	1990-91	जनता दल
H.D देवगौडा (जनता दल)	1996-97	संयुक्त मोर्चा
इन्द्र कुमार गुजराल (जनता दल)	1997-98	संयुक्त मोर्चा
अटल बिहारी वाजपेयी (BJP)	1998-99	BJP गठबंधन
अटल बिहारी वाजपेयी (BJP)	1999-2004	NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन)
मनमोहन सिंह (कांग्रेस)	2004-09	UPA (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन)
मनमोहन सिंह (कांग्रेस)	2009-14	UPA
नरेन्द्र मोदी (BJP)	2014-19	NDA
नरेन्द्र मोदी (BJP)	2019-24	NDA
नरेन्द्र मोदी (BJP)	2024----	NDA

Springboard ACADEMY

संविधान संशोधन

व्यक्तिगत अधिकार और संरक्षण		
संविधान संशोधन	वर्ष	व्याख्या
1st	1951	• अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध (सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी संबंध के आधार पर) • पिछड़े वर्गो के प्रावधानों को सशक्त बनया गया।
4th	1955	• संपत्ति अधिग्रहण मुआवजे को गैर–न्यायिक बनाया; राष्ट्रीयकरण को अधिकृत बनाया गया।
16th	1963	• अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर लगाए गए प्रतिबन्धों तथा शपथों में संप्रभुता/अखंडता को जोड़ा गय।
17th	1964	• अधिग्रहीत भूमि हेतु बाजार मूल्यों की आवश्यकता
24th	1971	• संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति।
25th	1971	• संपत्ति अधिकारों को सीमित किया गया, नीति निदेशक तत्त्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई।
26th	1971	• राजसी शासकों के त्रिवीपर्स/विशेषाधिकार को सम्पात किया गया।
42nd	1976	• मौलिक कर्त्तवय जोड़े गए, न्यायिक समीक्षा को संयमित/सीमित करने का प्रयास किया गया। • राष्ट्र–विरोधी कानूनों को अधिकारों पर सशक्त बनाया गया।
44th	1978	• संपत्ति के अधिकार को कानूनी बनाया गया। अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल से अभिरक्षा प्रदान की गई
50th	1984	• सशस्त्र बलों/खुफिया कर्मियों हेतु अधिकारों को सीमित किया गया।
86th	2002	• शिक्षा (उम्र 6–14) को मौलिक अधिकार व कर्त्तव्य बनाया गया।
93rd	2005	• शिक्षा में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण को सक्षम किया गया।
97th	2011	• सहकारी सनितियां बनाने को मौलिक अधिकार बनाया गया।

नीति निदेशक तत्त्व व सामाजिक आर्थिक नीतियां		
संविधान संशोधन	वर्ष	व्याख्या
25th	1971	• नीति निदेशक तत्त्वों (अनुच्छेद 39(b) व 39(c) को अधिकारों पर प्राथमिकता दी।
42nd	1976	• न्याय, श्रमिकों व पर्यावरण पर DPSP जोड़े गए, DPSP लागू करने वाले कानूनों को अधिकारों पर सशक्त बनाया। विषयों का समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया।
86th	2002	• DPSP अनुच्छेद 45 को बाल देखभाल के लिए अपड़ेट कि।

सामाजिक समानता और आरक्षण		
संविधान संशोधन	वर्ष	व्याख्या
1st	1951	• पिछड़े वर्गों हेतु प्रावधान।
8th	1960	• SC/ST/एंग्लो इंडियन आरक्षण को 1970 तक बढ़ाया।
23rd	1969	• आरक्षण को 1980 तक बढ़ाया, एंग्लो इंडियन आरक्षण को सीमित किया।
45th	1980	• आरक्षण को 1990 तक बढ़ाया गया।
51st	1984	• अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में ST का प्रावधान।

Springboard ACADEMY

57th	1987	• अरूणाचल, मिजोरम, नागालैंड में ST का विशेष व पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
62nd	1989	• आरक्षण को वर्ष 2000 तक बढ़ाया गया।
72nd	1992	• त्रिपुरा में ST सीटों का प्रावधान
76th	1994	• तमिलनाडु को 69% आरक्षण को नौवीं अनुसूची के माध्यम से संरक्षित किया।
77th	1995	• SC/ST पदोन्नति मानकों में छूट दी गई।
79th	1999	• आरक्षण को 2010 तक बढ़ाया गया।
81st	2000	• बैकलॉग में 50% की आरक्षण सीमा को समाप्त किया गया।
82nd	2000	• SC/ST के पदोन्नति मानकों में शिथिलता
83rd	2000	• अरूणाचल प्रदेश पंचायतों में SC आरक्षण से छूट दी गई।
85th	2001	• SC/ST के पदोन्नतियों के लिए परिणामी वरिष्ठता।
93rd	2005	• संस्थानों में पिछड़े वर्गो हेतु आरक्षण।
95th	2009	• आरक्षण को 2020 तक बढ़ाया गया।
103rd	2019	• 10% EWS आरक्षण
104th	2020	• SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया।
105th	2021	• राज्यों/UT को अपनी पिछड़ा वर्ग सूचियां बनाने की अनुमति।
106th	2023	• विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण (विधानसभा, लोकसभा)

राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
5th	1955	• सीमा विधेयकों पर राज्य दृष्टिकोण हेतु समय सीमा।
7th	1956	• 14 राज्यों व 6 UT में भारत का पुनर्गठन।
9th	1960	• बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपा।
10th	1961	• दादरा–नागर हवेली को शामिल किया गया।
12th	1962	• गोवा, दमन–दिऊ को शामिल किया गया।
13th	1962	• नागालैण्ड का राज्य के रूप में पुनर्गठन (Article 371-A)
14th	1962	• युदुचेरी को शामिल किया गया व UT विधानसभा बनाई।
18th	1966	• नए राज्य/UT के गठन को स्पष्ट किया गया।
22nd	1969	• असम के भीतर स्वायत्त मेघालय
27th	1971	• अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम हेतु विशेष
32nd	1973	• तेलंगाना हेतु प्रावधान।
35th	1974	• सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा (दसवीं अनुसूची)
36th	1975	• सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा (दसवीं अनुसूची)
37th	1975	• अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा
40th	1976	• समुद्री क्षेत्रों/सीमा को परिभाषित किया गया
49th	1984	• त्रिपुरा जिला परिषदों हेतु दर्जा।
53rd	1986	• मिजोरम को राज्य का दर्जा।
55th	1986	• अरूणाचल प्रदेश को राज्य दर्जा।
56th	1987	• गोवा को राज्य दर्जा, दमन–दिऊ को केन्द्र शासित प्रदेश
69th	1991	• दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा व विधानसभा का प्रावधान।

Springboard ACADEMY

90th	2003	• असम के बोडोलैंड में ST प्रतिनिधित्व बनाए रखा गया।
94th	2006	• झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा व मध्यप्रदेश में जनजातीय कल्याण मंत्री।
98th	2012	• हैदराबाद, कर्नाटक विकास हेतु गवर्नर को सशक्त किया गया।
100th	2015	• भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता।

विधायी शासन		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
2nd	1952	• निर्वाचन क्षेत्रों हेतु जनसंख्या सीमा हटाई गई।
8th	1960	• आरक्षण को 1970 तक बढ़ाया गया।
11st	1961	• उपराष्ट्रति निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन राष्ट्रति के निर्वाचन को सुरक्षा।
23rd	1969	• आरक्षण को 1980 एंग्लो इंडियन आरक्षण को सीमित किया गया।
31st	1972	• लोक सभा सीटों 545 तक बढ़ाया गया।
42nd	1976	• लोकसभा सीटों को 2001तक स्थायी किया, कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष किया, कोरम को हटाया व विशेषाधिकारों को सशक्त बनाया।
44st	1978	• 5 वर्षीय कार्यकाल व कोरम को पुनः बहाल किया। समाचार पत्र रिपोर्टों की रक्षा की।
45st	1980	• आरक्षण को 1990 तक बढाया।
52nd	1985	• दल बदल कानून (दसवीं अनुसूची)
61st	1989	• मतदान आयु को 18 वर्ष बनाया गया।
62st	1989	• आरक्षण को 2000 तक बढ़ाया गया।
70th	1992	• दिल्ली व पुदुचेरी को राष्ट्रति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किया गया।
79th	1999	• आरक्षण को 2010 तक बढ़ाया गया।
84st	2001	• सीटों को 2026 तक स्थायी किया गया। • 1991 की जनसंख्या को आधार बनाया गया।
87st	2003	• पुर्नसमायोजन हेतु 2001 जनगणना।
91st	2003	• मंत्रियों की संख्या को 15 प्रतिशत पर सीमित किया गया। • दल बदल कानून को अधिक सशक्त बनाया गया।
95st	2009	• आरक्षण को 2020 तक बढ़ाया गया। • एंग्लो–इंडियन आरक्षण को हटाया गया।
106st	2023	• विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण

न्यायपालिका और प्राधिकरण		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
7st	1956	• दो या अधिक राज्यों हेतु समान उच्च न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधन।
15st	1963	• रिट अधिकारिता को बढ़ाया गया।
19th	1966	• उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिकाओं के संबंध में शक्ति
20th	1966	• न्यायिक नियुक्तियों व निर्णयों को मान्य किया गया।
30th	1972	• दीवानी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने अपील की सीमा को विधि के सारवान प्रश्न से प्रतिस्थापित किया गया।

Springboard ACADEMY

42th	1976	• न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया, प्राधिकरणों का निर्णय (भाग XIV-A) अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का निर्माण।
43rd	1977	• न्यायिक समीक्षा व रिट शक्ति को पुनः बहाल किया गया।
44th	1978	• न्यायपालिका की शक्तियों को मूल रूप से बहाल किया गया।
54th	1986	• न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि साधारण कानून द्वारा
75th	1994	• किराया प्राधिकरण की स्थापना
99th	2014	• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अमान्य किया गया।

कार्यकारी शक्तियां और प्रशासन		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
11th	1961	• उपराष्ट्रति की निर्वाचन प्रक्रिया बदल गई। राष्ट्रति चुनावों की रक्षा।
24th	1971	• संशोधनों हेतु राष्ट्रति की सहमति अनिवार्य
27th	1971	• UT पर अध्यादेश शक्तियां।
28th	1972	• सिविल सेवा शर्तों पर संसद को सशक्त बनाया गया।
38th	1975	• राष्ट्रति/उपराष्ट्रति/प्रधानमंत्री व स्पीकर संबंधी विवाद को न्यायपालिका से बाहर किया गया।
41st	1976	• राज्य PSC सेवानिवृत्ति को 62 वर्ष की आयु तक बढ़ाया गया।

आपातकाल और आंतरिक सुरक्षा		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
42nd	1976	• भारत के किसी भाग में आपातकाल का प्रावधान, राज्यों में केन्द्रीय बलों को भेजना।
44th	1978	• आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया गया, कैबिनेट की लिखित सलाह।
48st	1984	• पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया।
59th	1988	• पंजाब में राष्ट्रति शासन को बढ़ाया गया।
64th	1990	• पंजाब में राष्ट्रति शासन को 3.5 साल तक बढ़ाया गया।
67th	1990	• पंजाब में राष्ट्रति शासन को 4 साल तक बढ़ाया गया।
68th	1991	• पंजाब में राष्ट्रति शासन को 5 साल तक बढ़ाया गया।

संवैधानिक अनुसूचियां		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
1st	1951	• 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार हेतु जोड़ा गया।
4th	1955	• 9वीं अनुसूची को विस्तृत किया गया।
9th	1960	• सीमांकन (बैरूबाड़ी विवाद)
21st	1967	• सिंधी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
29th	1967	• सी
34th	1974	• 20 भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
35st	1974	• सिक्किम हेतु दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
36st	1975	• दसवीं अनुसूची को सिक्किम विलय के पश्चात हटाया गया।

Springboard ACADEMY

40st	1976	• 64 कानूनों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया।
47th	1984	• कई भूमि सुधारों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया।
52th	1985	• दल–बदल हेतु दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
66th	1990	• भूमि सुधार के कानूनों को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
71st	1992	• कोकणी, मणीपुरी, नेपाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
73rd	1992	• पंचायतों हेतु ग्यारहवीं अनुसची।
74th	1992	• नगरीय निकायों हेतु बारहवीं अनुसूची।
76th	1994	• तमिलनाडु आरक्षण कानून को नवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
92nd	2003	• बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
96st	2011	• ओरिया का नाम परिवर्तन कर ओड़िया किया गया (आठवीं अनुसूची)

संवैधानिक निकाय और आर्थिक प्रावधान		
संविधान संशोधन	**वर्ष**	**व्याख्या**
3rd	1954	• आवश्यक वस्तुओं के व्यापार पर संसद का नियमन।
6th	1965	• संघ की अंतर–राज्यीय बिक्री कर शक्ति
46st	1982	• अंतर–राज्यीय कसाइनमेंट कर
60th	1988	• पेशा कर सीमा को 25000 तक बढ़ाया गया।
65th	1990	• SC/ST आयोग का विभाजन
80th	2000	• केन्द्र राज्य कर साझेदारी को सरल बनाया।
88th	2003	• सेवा कर
89th	2003	• SC/ST आयोग का विभाजन
101st	2017	• GST
102nd	2018	• पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

Springboard ACADEMY

अनुच्छेद : 19 से संबन्धित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णय

प्रेस की स्वतंत्रता

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 :–

- प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है।

सकल पेपर्स बनाम भारत संघ, 1962 :–

- समाचार पत्रों की कीमतों और पृष्ठ संख्या पर प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया।

सूचना का अधिकार

ADR मामला, 2001 :

- नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

ADR मामला, 2024 :

- चुनावी बॉन्ड योजना अमान्य है क्योंकि यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करती है।

श्रेया सिंघल, 2015 :

- SC ने IT अधिनियम, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की।

अन्य वाद

बिजॉय इमैनुएल केस, 1985 (मौन रहने का अधिकार) :

- मौन रहने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है।

नवीन जिंदल केस, 2004 (राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार) :

- राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है।

अमित साहनी वाद 2020 और MKSS वाद 2018 :

- धरना प्रदशन करने का अधिकार अन्य नागरिकों के अबाध विचरण के अधिकार को नहीं छीन सकता।

टीके रंगराजन मामला, 2003 :

- हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था।

टीकाराम सिंह मामला, 1956 :

- संघ बनाने के अधिकार में संघ न बनाने का अधिकार भी शामिल है।

भरत कुमार मामला, 1997 :

- बंद का आह्वान करना और दूसरों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है।

Springboard ACADEMY

विशाखा मामला, 1997 :

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं को उनकी आजीविका के अधिकारों से वंचित करता है।

एक्सेल वेयर केस, 1975 :

- व्यवसाय चलाने के अधिकार में अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उसे बंद करने का भी शामिल है।

अनुच्छेद : 21 से संबन्धित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णय

मृत्यु का अधिकार

रथिनम बनाम भारत संघ (1994) :

- सर्वोच्च न्यायालय ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं माना, अर्थात जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है।

ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) :

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्वर्ती निर्णय को पलट दिया और आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना।

पीड़ा कम करने के लिए सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार (इच्छामृत्यु)

अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) :

- डॉक्टरों और रिश्तेदारों की सहमति पर निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति है।
- पीड़ा कम करने के लिए सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार (इच्छामृत्यु)

कॉमन कॉज पीआईएल (2018) :

- सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मान्यता दी और निष्क्रिय इच्छामृत्यु की भी अनुमति दी।

अन्य वाद

के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 :

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वायत्तता व सम्मान के लिए आवश्यक है।
- व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार है कि उसकी जानकारी के साथ क्या किया जाए।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला, 2020 :

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद करना अनुच्छेद 19 और 21 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

Springboard ACADEMY